MRAA USIUSI The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 533] No. 533] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2011/आश्विन 1, 1933

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2011/ASVINA 1, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 716(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2011 है।
 - (2) ये नियम 25 सितंबर, 2011 से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में, प्ररूप 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररुप सं. 5

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 95, धारा 97 या धारा 94क(2) या धारा 81(4) के अनुसरण में

संचयन, विभाजन आदि या शेयर पूंजी में वृद्धि या सदस्यों की संख्या में वृद्धि की सूचना

प्ररुप भाषा

English

टिप्पण : *चिन्हित दिए गए सभी स्थानों को भरा जाना आवश्यक है।

1.(क)* कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (सीआईएन)

2.(क) कंपनी का नाम

- (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
- (ग)* कंपनी का ई-मेल पहचान
- 3. *प्ररुप का प्रयोजन कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से शेयर पूंजी की बढ़ोतरी केन्द्रीय सरकार के आदेश सहित शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

सदस्यों की संख्या में वृद्धि समेकित या भाग आदि

4. (दिन/मास/वर्ष) की हुई कंपनी के सदस्यों की बैठक में द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 97 के अनुसरण में प्ररुप 23 से संबंधित सेवा निवेदन संख्या

विशेष संकल्प

(क) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में निम्नानुसार वृद्धि की गई है,

विद्यमान

(रुपए में)

पुनरीक्षित

(रुपए में)

अंतर (अतिरिक्त)

(रुपए में)

(ख)(i) कंपनी के सदस्यों की संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई हैं,

विद्यमान

पुनरीक्षित

अंतर (अतिरिक्त)

- (ii)पूर्व और वर्तमान कर्मचारी (कर्मचारियों) को अपवर्जित करके सदस्यों की अधिकतम संख्या
- 5.(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 94(क) की उपधारा (3) के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में,

द्वारा (वित्तीय संस्था का नाम प्रविष्ट करें) डिबेंचर ऋणों के शेयरों में संपरिवर्तन के लिए किए गए आवेदन पर अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (4) या धारा 94क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के तारीख (दिन/मास/वर्ष) के आदेश के परिणामस्वरूप वृद्धि की गई हैं।

विद्यमान प्राधिकृत पूंजी

(रुपए में)

पुनरीक्षित प्राधिकृत पूंजी

(रुपए में)

अंतर (अतिरिक्त)

(रुपए में)

- (ख) पूर्वोक्त आदेश की एक प्रति (दिन/मास/वर्ष) को केन्द्रीय सरकार से कंपनी को प्राप्त हुई थी।
- 6. अतिरिक्त पूंजी को निम्नानुसार विभाजित किया गया है (उपर्युक्त परिवर्धन को ध्यान में रखकर)
- (क) साधारण शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रुपए में)

(ख) अधिमानी शेयरों की संख्या

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रुपए में)

कुल परिवर्धन (रुपए में)

- 7. वे शर्ते (मताधिकार, लाभांश का अधिकार, समापन अधिकार, आदि) जिनके अधीन नए शेयर जारी किए गए हैं, निम्नानुसार हैं :-
- 8. यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 95 के अनुसार कंपनी ने (दिन/मास/वर्ष) को किया है।

(दिन/मास/वर्ष)

(क) संचयी

(ख) संपरिवर्तित

(ग) पुर्नसंपरिवर्तित

(घ) उपविभाजित

(ङ) मोचित

(च रद्द

(छ) पुर्नवर्गीकृत

9. उपर्युक्त 4,5,6 और 8 द्वारा परिवर्तनों पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित पूंजी संरचना (क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)

प्राधिकृत पूंजी का पृथक-पृथक विवरण साधारण शेयरों की संख्या प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम अधिमानी शेयरों की संख्या प्रति अधिमानी शेयरों की अभिहित रकम अवर्गीकृत शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

अधिकारी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

अवर्गीकृत शेयरों की कुल रकम (रु. में)

(ख) कंपनी की पुरोधत पूंजी (रु. में)
पुरोधत पूंजी का पृथक-पृथक विवरण
साधारण शेयरों की संख्या
प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम
अधिमानी शेयरों की संख्या
प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

(ग) कंपनी की अभिदत्त पूंजी (रु. में)
अभिदायी पूंजी का पृथक-पृथक विवरण
साधारण शेयरों की संख्या
प्रति साधारण शेयर की अभिहित रकम
अधिमानी शेयरों की संख्या
प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

(घ) कंपनी की संदत्त पूंजी (रु. में)

संदत्त पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम

अधिमानी शेयरों की संख्या

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर की अभिहित रकम

10. *क्या अनुच्छेद संगम में परिवर्तन किया गया है

हां नहीं

11. स्टाम्प इयूटी के संदाय (विशिष्टियां भरने से पहले ब्यौरा के लिए अनुदेश किट देखें)

(क) वह राज्य या संघराज्य जिस की बाबत स्टांप इ्यूटी संदत्त की गई है यहा संदत्त की जानी है पहले से भरा

(ख) *क्या स्टाप शुल्क का संदाय एमसीए-21 प्रणाली द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रुप में किया जाना है। हां नहीं लागु नहीं होता

टिप्पण: एसई विनिधान लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका सं0 (सी) 2393/2010 और सिविल प्रकीर्ण अपील सं0 479/2011) वाले मामले में नई दिल्ली स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दिल्ली स्टांप अधिनियम में "बढ़ी हुई प्राधिकृत पूंजी" पर स्टांप शुल्क के संदाय के लिए कोई उपबंध नहीं है। प्राधिकृत पूंजी की बढ़ोतरी के लिए स्टांप शुल्क के संदाय को, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के संबंध में प्ररूप 5 को फाइल करने के साथ संदत्त किया जाता है, वैकल्पिक बनाया जाता है।

(i)संदत्त किए जाने वाले स्टांप शुल्क के ब्यौरे संदत्त किए जाने वाले स्टांप शुल्क की रकम (रुपए में)

(ii)पहले से संदत्त स्टांप शुल्क के ब्यौरें

दस्तावेज का प्रकार/विशिष्टिया

प्ररुप 5

स्टांप या स्टांप पेपर की कुल रकम (रुपए में)

स्टांप ड्यूटी के संदाय का ढंग

सरकार की ओर से स्टांप इ्यूटी का संग्रहण या स्टांप पेपर के विक्रय या दस्तावेजों का समुद्रभृत करने या स्टांप वाउचरों का अभियोजन करने वाले विक्रेता या खजाने या प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम अभिकरण का नाम समुद्रभृत, स्टांपों या स्टांप पेपर की क्रम संख्या या खजाना चालान संख्या

विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण संख्या

स्टांप या स्टांप पेपर के क्रय या स्टांप शुल्क के संदाय की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

स्टांपों या स्टांप पेपर के विक्रय या स्टांप इ्यूटी के संदाय का स्थान

12. अधिसंदेय स्टांप शुल्क पहले ही संदत्त किए जाने की दशा में, पूर्व में फाइल किए गए (एसआरएन या प्राप्ति संख्या, प्ररूप फाइल किए जाने की तारीख, संदत्त स्टांप शुल्क रकम) प्ररूप (प्ररूपों) के ब्यौरे दें।

3575 GI/11-2

संलग्नक

1. केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्राप्ति का सब्त

संलग्न

संलग्नकों की सूची

2. परिवर्तित संगम ज्ञापन

संलग्न

3. परिवर्तित संगम अनुच्छेद

संलग्न

4. वैकल्पिक संलग्नक-यदि कोई हो /हों

संलग्न

संलग्नकों हटाएं

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से इस प्ररुप में और इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मुझे इस प्ररुप पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए निदेश्क बोर्ड के संकल्प संख्या * (ता /मास /वर्ष) द्वारा प्राधिकृत किया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि कंपनी ने स्टांप अधिनियम के अनुसार यथा लागू स्टांप शूल्क संदत्त कर दिया हैं। निम्नलिखित के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किए जाएं कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

*पदनाम

*निदेशक या प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्यांक; या प्रबंधक का आयकर स्थायी खाता संख्या (आय-कर पैन); या सचिव का सदस्यता संख्याक, यदि लागू हो या आयकर स्थायी खाता संलग्नक (किसी कंपनी का सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, अपना आयकर स्थायी खाता संख्यांक उल्लेख कर सकेगा) प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपर्युक्त ब्यौरों जिसके अंतर्गत संलग्नक भी है के अभिलेखों से सत्यापित किया है

और उन्हें सही तथा ठीक पाया है, मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररुप के साथ अपेक्षित संलग्नक (संलग्नकों) संलग्न हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्ण कालिक व्यवसायरत) या

लागत लेखापाल(पूर्ण कालिक व्यवसायरत) या

कंपनी सचिव (पूर्ण कालिक व्यवसायरत)

सहयुक्त

अधिसदस्य

*सदस्यता संख्या या व्यवसाय प्रमाण-पत्र की संख्या

उपांतरित

पूर्वसंवीक्षा

प्रस्तुत

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए -ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या

*क्या सहयुक्त या अधिसदस्य है

ई-प्ररुप भरने की तारीख

(दिन /मास /वर्ष)

इस ई-फार्म को एतद्द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। प्राधिकारी आधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

[फा. सं. 2/20/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.432(अ) तारीख 18 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें सा.का.नि. 618(अ) तारीख 11 अगस्त, 2011 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2011

G.S.R. 716(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules 2011.
 - (2) These rules shall come into force with effect from the 25th September, 2011.
- 2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, for Form 5, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM NO. 5 [Pursuant to sections 95, 97 or 94A(2) or 81(4) of the Companies Act, 1956]	sections 95, 97 or 94A(2) or			
Note - All fields marked in *are to be mandatoril	y filled.			
(a) * Corporate identity number (CIN) of company (b) Global location number (GLN) of company	Pre-fill Pre-fill			
2.(a) Name of the company				
(b) Address of the registered office of the company				
(c) *e-mail ID of the company				
3. *Purpose of the form	and appropriate to the street of the street			
Increase in share capital independently by Increase in share capital with Central Gov				
4. In accordance with section 97 of the Companies	Act, 1956, that by Ordinary O Special resolution at			
the meeting of the members of the company held	d on (DD/MM/YYYY)			
Service request number (SRN) of related Form 2	3			

) The authorised share capital of t	tie company has	peett ilicreased ilotti	
Existing	(in Rs.)		
Revised	(in Rs.)		
Difference (addition)	(in Rs.)		
(i) The number of members in th	e company has l	peen increased from	200
Existing			
Revised			
Difference (additional)			
(ii) Maximum number of member	rs excluding past	and present employee(s)	DAN CENTRAL
A THE PARTY OF THE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(A) of the Companies Act, 1956, the author	oriced chare
capital of the company has bee			(DD/MM/YYYY)
) of section 81 or sub-section (2) of section	
an application made to it by (Er			
		SELLIN LINE CONTROL OF THE PARTY OF	
for conversion of debentu	res O loans in	ito shares	
Existing authorised capit	al (in Rs.)		
	. " - \ [
Revised authorised capit	al (in Rs.)	The state of the s	
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM	(in Rs.) [received by the o	company from the Central Government on addition above) is divided as follows	
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into a) Number of equity shares	(in Rs.) [received by the o		
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into a) Number of equity shares	(in Rs.) [received by the o	addition above) is divided as follows Total amount of equity shares (in Rs.) Total amount of preference shares	
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into a) Number of equity shares O) Number of preference shares Total addition (in Rs.)	(in Rs.) [received by the of the consideration the	addition above) is divided as follows Total amount of equity shares (in Rs.) Total amount of preference shares	w shares have been
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into a) Number of equity shares O) Number of preference shares Total addition (in Rs.)	(in Rs.) [received by the of the consideration the	addition above) is divided as follows Total amount of equity shares (in Rs.) Total amount of preference shares (in Rs.)	w shares have been
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into a) Number of equity shares O) Number of preference shares Total addition (in Rs.)	(in Rs.) [received by the of the consideration the	addition above) is divided as follows Total amount of equity shares (in Rs.) Total amount of preference shares (in Rs.)	w shares have been
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into a) Number of equity shares O) Number of preference shares Total addition (in Rs.)	(in Rs.) [received by the of the consideration the	addition above) is divided as follows Total amount of equity shares (in Rs.) Total amount of preference shares (in Rs.)	w shares have been
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into a) Number of equity shares D) Number of preference shares Total addition (in Rs.) The conditions (e.g. voting rights, issued, are as follows	(in Rs.) [received by the olyyyyy) consideration the	addition above) is divided as follows Total amount of equity shares (in Rs.) Total amount of preference shares (in Rs.) vinding-up rights, etc.) subject to which never	
Difference (addition) A copy of the aforesaid order was (DD/MM) The additional capital (taking into one) Number of equity shares O) Number of preference shares Total addition (in Rs.) The conditions (e.g. voting rights, issued, are as follows	(in Rs.) [received by the olyyyyy) consideration the	addition above) is divided as follows Total amount of equity shares (in Rs.) Total amount of preference shares (in Rs.) vinding-up rights, etc.) subject to which never	w shares have been

3575 GI/11-3

(b) Issued capital of the company	(in Rs.)		
Break up of Issued capital			
Number of equity shares		Total amount of equity shares (in Rs.)	
Nominal amount per equity share		(, 100)	
Number of preference shares	- cyallin	Total amount of preference shares	
Nominal amount per preference share			
(c) Subscribed capital of the company	(in Rs.)		
Break up of Subscribed capital			
Number of equity shares		Total amount of equity shares (in Rs.)	
Nominal amount per equity share			
Number of preference shares		Total amount of preference shares	
Nominal amount per preference share		(in Rs.)	
(d) Paid up capital of the company	(in Rs.)		Lan Table
Break up of Paid up capital			
Number of equity shares		Total amount of equity shares (in Rs.)	
Nominal amount per equity share			
Number of profesones above		Total amount of preference shares	
Number of preference shares		(in Rs.)	
Nominal amount per preference share			
0. * Whether articles of association have	been altered	○ Yes ○ No	
1 Particulars of navment of stamp dut	v (Defer instruct	ion kit for details before filling the parti	culam)
a) State or Union territory in respect of wh		and kit for dealts before filling the part	
duty is paid or to be paid	non stamp		Pre-fill
b) *Whether stamp duty is to be paid elec	tronically through	MCA21 system Yes	No Not applicable
		0 103 0	
		d in the matter of S E Investments Limited here is no provision in the Delhi Stamp Ac	
	yment of stamp d	uty for increase of authorised capital being	
NO.5 With respect to State of National Cap	ital Territory of De	eini is made optional.	
(i) Details of stamp duty to be paid			
Amount of stamp duty to be paid	(in Rs.)		
(ii) Provide details of stamp duty already	paid		
Type of document/Particulars		Form 5	
Total amount of stamps or stamp paper	(in Rs.)		
Mode of payment of stamp duty			
or paymone or otternip daty			

Name of vendor or Treasury or Authority or any other Competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government			
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number			
Registration number of vendor			
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty		(DD/MM	7777)
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty			
		List of ottoo	hannata .
Attachments 1. Proof of receipt of Central Government order Attachments	ch I	List of attac	nments
Altered memorandum of association Attack			
Altered articles of association Attack			
4. Optional attachment(s) - if any Attachment	ch		
erification	dailded to a	Remove a	attachment
the best of my knowledge and belief, the information given in the	nis form and its atta	chments is correct ar	nd complete.
have been authorised by the Board of directors' resolution numb o sign and submit this form.	er [*]	dated	(DD/MM/YYYY
further declare that the company has paid correct stamp duty as	per applicable Sta	mp Act.	
o be digitally signed by Managing director or director or manager or secretary of the composition	pany	7	
Director identification number of the director or Managing Director ncome-tax permanent account number(Income-tax PAN) of the reference of the secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote income-tax PAN)	manager; or etary		

Certificate	
t is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of	
and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.	
Chartered accountant (in whole-time practice) or Cost accountant (in whole-time practice) or	
Company secretary (in whole-time practice)	
Vhether associate or fellow Associate Fellow	
Membership number or certificate of practice number	
Modify Check Form Prescrutiny Submit	
For office use only: Affix eStamp and filing details	
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/Y	YY
This e-Form is hereby registered	
Digital signature of the authorising officer Confirm submission	
Date of signing (DD/MM/YYYY)	

[F. No. 2/20/2011-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published vide number G.S.R. 432(E) dated the 18th January, 1986 and last amended vide G.S.R. 618 (E), dated the 11th August, 2011.